

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6 / वि०पत्रा०-24-03 / 2025

पटना, दिनांक—

श्रीमती नरगिस, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), कटिहार अंचल, कटिहार को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-14.11.2024 से 31.12.2024 तक कुल 48 (अड़तालीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती नरगिस के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त $(194-48=146)$ (एक सौ छियालिस) दिन का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० /—

(ज्योति प्रकाश)

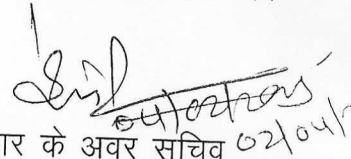
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / वि०पत्रा०-24-03 / 2025

1608

पटना, दिनांक-04/04/2025

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना -800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कटिहार/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन) पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), कटिहार अंचल, कटिहार/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती नरगिस, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), कटिहार अंचल, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव, 04/04/2025
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।